न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 97/05/दावा/आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मदन बनाम हरिराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने विक्रय पत्र किता 2 दिनांक 15.6.05 एवं रिकार्ड दुरूस्ती आवेदन अं. आदेश 7 नियम 11 उपमद क,घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से
2. श्री शिवपालसिंह वकील उतरदाता/वादी की ओर से

निर्णय दिनांक – 14.03.2017

1. प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 उपमद क,घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी वाद वादी मदन द्वारा विक्रय पत्र किता 2 दिनांक 15.06.2005 जो प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4 के पक्ष में विधि अनुसार तहरीर तकमील कर तस्दीक करवाया गया है। जिसको वाद कारण दिनांक 15.06.2005 दर्ज करते हुए उक्त दोनों विक्रय पत्रों के खिलाफ सक्षम न्यायालय जिला जज, सीकर में उनवानी श्रीमती छोटी देवी आदि बनाम लादूराम व अन्य का दावा दिनांक 18.06.2005 को पेश किया था जिसके बाद उक्त दावा दिनांक 25.06.2005 को पेश किया गया है। दोनों वाद पत्रों की रिलाफ समान है इसलिए माननीय न्यायालय के दावे की कार्यवाही धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किये जाने योग्य थी अर्थात् एक ही रिलाफ के लिए दो दावे अलग अलग न्यायालयों में विचारण नहीं हो सकते है अतः प्रस्तुत दावा इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। जिला जज सीकर दावा मु.नं. 98/05 पर दर्ज होकर वास्ते विचारण एडीजे नंबर 1 सीकर में हस्तांतरण होने पर पुनः मु.नं. 49/2005 पर दर्ज होकर विधि अनुसार विचारण किया गया था जिसमें 9 विवाद्यक कायम किये गये जिनमें से 1 ता 4 विवाद्यक निम्नानुसार है जो जिम्मे वादी किये गये थे–
   (1) आया वादीगण व प्रतिवादीगा सं. 4 व 5 क्रमशः प्रतिवादी सं. 4 की पत्नी व पुत्रगण है।
   (2) आया विवादास्पद संपति 1979 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 ने अपने परिवार की संयुक्त कमाई से क्रय की है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

(3) आया दिनांक 21.09.84 को प्रतिवादी सं. 4 ने पारिवारिक सेटमेंट के जरिये 1/2 हिस्सा व संपूर्ण भूमि के लिए विक्रय अधिकार वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है।

(4) आया 1986 में वादीनी व प्रतिवादी सं. 4 ने अपने हक विवादग्रस्त भूमि में कब्जा काश्त सहित अपने पुत्रों के हक में त्याग दिये।

जिला जज सीकर का दावा का विधि अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2011 को वाद की तनकी सं. 1 ता 4 निर्णय के पैरा 9 ता 13 में विस्तृत विवेचन के साथ खिलाफ वादीगण किया जाकर वाद वादीगण मय खर्चा खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रस्तुत वाद धारा 11 सीपीसी से ग्रसित होने से विधि विरूद्ध है। हस्तगत वाद के वादी मदन ने अपनी माता के साथ मिलकर जिला जज सीकर के दावे में वाद कारण दिनांक 15.06.2005 दर्ज करते हुए दावा पेश किया था अर्थात् प्रथम बाद वाद कारण दिनांक 15.06.2005 उत्पन्न हुआ जिसका दावा का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2011 को हो चुका है अर्थात् इस वाद में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। उक्त वाद वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 (क) सीपीसी के तहत विधि विरूद्ध दावा है इसलिए इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। हस्तगत वाद का जिला जज सीकर का दावा सं. 98/2005 बीटी नंबर 49/2005 की विषय वस्तु विक्रय पत्र किता 2 दिनांक 15.06.2005 जो हस्तगत वाद के प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के पक्ष में विधि अनुसार कराये गये है जो जिला जज सीकर (एडीजे नंबर 1) के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2011 के बाद हस्तगत वाद बिना किसी विलम्ब के इसी स्टेज पर विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। हस्तगत वाद की संपदा प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित आय से क्रयशुदा संपदा थी जो विधि अनुसार प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 को बाद प्रतिफल प्राप्ति के विक्रय पत्र कराया गया है जिनको सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2011 को बहाल रखा गया है तथा राजस्व न्यायालय में मात्र प्रथम ना.करण अपील नामांतरण सं. 167, 168 जो वादग्रस्त विक्रय पत्रों के लिए भरे जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा दिनांक 25.06.2005 को तस्दीक किये गये, के खिलाफ कलेक्टर, सीकर के यहां की गई। जिसका निर्णय दिनांक 23.08.2006 को अपीलांट श्रीमती छोटी देवी व मदन की दोनों अपीलें खारिज कर नामांतरण सं. 167, 168 को बहाल रखा गया जिसकी द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील सं. 66/2006, 67/2006 पेश होकर बाद विचारण दिनांक 20.11.2007 को दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण तथा विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त की जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 23.08.2006 तथा नामांतरण सं. 167, 168 दिनांक 25.06.2005 को बहाल रखा गया अर्थात् हस्तगत वाद की वादवस्तु की सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालयों में विनिश्चय हो चुका है इसलिए हस्तगत वाद पूर्णतया विधि विरूद्ध वाद है, जो बिना किसी विलम्ब के इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का आवेदन स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाने की कृपा करें।

2. आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 उपमद क,घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश होने पर इसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील उतरदाता/वादी ने आवेदन का बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 (क) सीपीसी एवं धारा 10 व 11 सपठित धारा 151 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 उपमद क,घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में अभिकथित किये अभिकथन प्रस्तुत वाद में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर उठाये जाकर वाद पत्र और जवाब दावे के आधार विवाद्यक कायम किये जाकर अभिकथन और अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर विस्तृत रूप से अंतिम निर्णय किया जाना ही न्यायसंगत है। इस स्टेज पर बिना विवाद्यक कायम हुए तथा बिना साक्ष्य के वाद खारिज किया जाना कतई न्यायसंगत कानून सम्मत नहीं है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन साहीन होने से मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया एवं आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गये जो शामिल मिसल है। इसके विपरीत वकील उतरदाता/वादी ने बहस के दौरान जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में बिना विवाद्यक कायम हुए तथा बिना साक्ष्य के वाद खारिज किया जाना कानून सम्मत नहीं है। आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें।

4. हमने वकुलान फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम चारणवास प.मं. लिखमाका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2058–61 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजियात खसरा नं. 337 ता 340 किता 4 कुल रकबा 5.37 है0 की खातेदारी हरिराम पुत्र मामराज कौम गुसाई सा. खाड़ीवाड़ा तहसील नारनोल हरियाणा की है। खातेदार हरिराम द्वारा संपूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्से का बेचान रामप्यारी देवी पत्नी लादूराम जाति जाट को व 1/2 हिस्से को लादूराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट व भींवाराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट को दिनांक 15.06.2005 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा बेचान कर दिया गया। क्रयकर्ताओं के पक्ष में नामांतरण सं. 167 व 168 भरे गये। उक्त विवादित भूमियों के सम्बन्ध में एक दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय जिला जज सीकर में पेश होकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (क्रम 1) सीकर में मु.नं. (98/2005) 49/2005 बउनवानी छोटी देवी आदि बनाम लादूराम आदि हस्तांतरित हुआ। उक्त न्यायालय

Scanned by CamScanner

अपर जिला न्यायाधीश (क्रम 1) में वादीगण द्वारा विवादित विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2005 को निरस्त करने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर चले आ रहे कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित करने हेतु डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (क्रम 1) सीकर के निर्णय दिनांक 22.02.2011 के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि तनकी सं. 1 ता 4 वादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है तथा यह साबित हुआ हे कि वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 ने दुरभिसंधि से प्रस्तुत किया है जिसके कारण वादीगण किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते तथा आदेश में वादीगण का वाद खर्चे सहित खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध एसबी सिविल प्रथम अपील सं. 187/2011 छोटीदेवी आदि बनाम लादुराम आदि माननीय उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर में पेश की गई है जो विचाराधीन है। जिसमें स्थगन नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 द्वारा क्रय की गई भूमियों के सम्बन्ध में भरे गये ना.करण सं. 167 व 168 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर में गई जो निर्णय दिनांक 23.08.2006 को खारिज हो गई जिसकी अपीलें न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में की गई जो निर्णय दिनांक 20.11.2007 को खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध दो निगरानियां माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर में की गई। उक्त दोनों निगरानियां माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 31.01.2017 के द्वारा यह विश्लेषण किया गया है कि "प्रार्थीगण ने अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 1 सीकर के न्यायालय में उनके वारिस होने एवं विवादित भूमि पर उनके चले आ रहे कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित करने हेतु डिक्री पारित करने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2011 द्वारा खारिज कर दिया तथा अपने निर्णय में माना कि वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 4 ने दुरभिसंधि से पेश किया, इस कारण वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निगरानीकर्ता इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय पारित किए है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप ये दोंनों निगरानियां खारिज की जाती है।" उपरोक्त विववेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रतिवादी सं. 1 हरिराम की स्वअर्जित भूमियां है जिनको बेचान किये जाने का अधिकार उन्हें था। वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ ऐसी स्थिति में वाद कारण के अभाव में वाद वादी खारिज योग्य है। अतः आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 उपमद क, घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

5. यह आदेश आज दिनांक 14.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

मदनलाल — इजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

बनाम — हरिराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने विक्रय पत्र किता 2 दिनांक 15.06.05 एवं रिकार्ड संशोधन आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 उपमद क,घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

मुकदमा नं0 97/05/दावा/आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निर्णय दिनांक 14.03.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव, आरएएस बहाजरी श्री मूलचन्द धायल वकील मिनजानिब मुद्दालह एवं श्री शिवपालसिंह वकील मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 उपमद क, घ सीपीसी धारा 10, 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.03.2017 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	5	00			
मीजान	10	00	मीजान	2	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 97/05/दावा/आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मदनलाल पुत्रश्री हरिराम आयु 33 वर्ष जाति गुसाई निवासी नाडा चारणवासस तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी

ब ना म

1. हरिराम पुत्रश्री मामराज जाति गुंसाई निवासी खाड़ी वाड़ा तहसील नारनोल जिला नारनोल (हरियाणा)
2. रामप्यारी पत्नी श्री लादुराम
3. लादुराम पुत्र लक्ष्मणराम
4. भींवाराम पुत्र हनुमान प्रसाद
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 18 रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर
5. नंदाराम पुत्र हरिराम जाति गुंसाई निवासी नाडा चारणवास तहसील दांतारामगढ
6. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
7. ग्राम पंचायत, लिखमाका बास जरिये सरपंच
8. सहायक अभियंता, एवीवीएनएल खाटूश्यामजी
9. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
10. मोहनीदेवी
11. संतोष देवी
12. लालीदेवी

पुत्रियां हरिराम जाति गुंसाई नि0 ग्राम नाडा चारणवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति–

1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से
2. श्री शिवपालसिंह वकील उतरदाता/वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक – 14.03.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner